

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई०ए०एस०

मिसल न० 92/प्रा०पत्र/23

तारीख दायरा: 13.09.2023

राज० सरकार जयें पुलिस थाना गंगधार

बनाम

शिवनारायण पुत्र सालगराम

प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 59/2023 थाना गंगधार

जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का

प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए वास्ते राजसात करने वाहन संख्या

आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433

उपस्थित:- सहायक निदेशक अभियोजन

अनुपस्थित:- अजीत सिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक :07.02.2023

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना गंगधार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पुलिस थाना गंगधार द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में अप्रार्थीगण के वाहन आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433 जप्त किया गया है। जिनमें कमशः वाहन संख्या आरजे 17 जीए 9359 में 03 गोवंश बैल (केलड़े) को टूसकर मुह रस्सी से बांधकर भरे हुए थे तथा वाहन संख्या आरजे 17 जीए 3433 में 02 गोवंश बैल (केलड़े) टूसकर मुह रस्सी से बांधकर भरे हुए थे। उक्त गोवंश बैल (केलड़ो) को निर्दयतापूर्वक भरकर परिवहन कर लाने ले जाने संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज चाहा गया तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार वाहन में 05 गोवंश बैल (केलड़ो) को मुंह बांधकर निर्दयतापूर्वक भरकर कटने हेतु बिना दस्तावेज के लाने ले जाने का कृत्य अपराध राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 व के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नगत वाहनों को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उक्त वाहनों आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433, 05 गोवंश बैल (केलड़े) के अवेद्य परिवहन के अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जप्त किया गया है। जप्त वाहनों में 05 गोवंश बैल (केलड़े) निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। जिनको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कोई वैधानिक स्वीकृति सम्बन्धित दस्तावेज आरोपी द्वारा वक्त गिरफ्तारी नहीं बताया गया। इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई

4.11.23
जिला कलक्टर
झालावाड़

भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।


हमने बहस सहायक निदेशक अभियोजन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहनों आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433 में 05 गोवंश बेल (केलड़े) निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। अप्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः गोवंश को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टि होती है, अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से वाहनों आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433 में 05 गोवंश बेल (केलड़े) को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टि करता है।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6 (क) पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। पुलिस थाना गंगधार द्वारा प्र.सूरि.स. 59/2023 में जप्त वाहन आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 343 गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत जप्त वाहनों को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं। अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहनों आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433 पर वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर जुर्माना (fine) लगाया जाना उचित पाते हैं।

—:अतः आदेश है कि :-

प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) पुलिस थाना गंगधार द्वारा प्र.सूरि.स. 59/2023 में जप्त वाहनों आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं। जप्त वाहन के मालिकों को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन वाहन आरजे 17 जीए 9359 व आरजे 17 जीए 3433 पर लगाया जुर्माना (fine) बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना गंगधार जिला झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक: 07/02/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़